(4)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एस0आर0वी0 इण्टरनेशनल स्कूल,
कोटा, हाथरस।

पत्रांकः बे0मान्यता/20403 /2016–17 दिनांकः 25/3/17

विषयः **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय,

आपके तारीख 03.08.2016 के आवदेन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं– एस0आर0वी0 इण्टरनेशनल स्कूल, कोटा, हाथरस को तारीख **01.04.2016** से **31.03.2019** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये **कक्षा नर्सरी से कक्षा 08** तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

<u>उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–</u>

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिऐ कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत एवं आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3)शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण –पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है

PRINCIPAL
S.R.V. INTERNATIONAL SCHOOL
KOTA (HATHRAS)

Manager
S.R.V International School
Kota (Hathras)

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

9 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनांओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

10 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।

11 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

12 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एंकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिएं प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

13 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

14 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

15 संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

16 विद्यालय में अनियमिततायें पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

भवदीय

(रेखा सुमन)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस

पृष्ठांकन सं0: /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 मुरसान, जनपद हाथरस।

(रेखा सुमन)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस

Manager
S R V International School
Kota (Hathras)

PRINCIPAL
S.R.V. INTERNATIONAL SCHOOL
KOTA (HATHRAS)

Form No:7910

Office of the District Basic Education Officer
HATHRAS

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **S R V INTERNATIONAL SCHOOL,KOTA HATHRAS** is permanently recognized for Pre-Primary,Primary and Junior School(class 1 to 8).The Recognition number alloted to S R V INTERNATIONAL SCHOOL is **20403.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**23-08-2023**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary,Primary and Junior School
5.Recognition No.	20403

DATE:- 23-08-2023

PLACE:- HATHRAS

District Basic Education Officer

Digitally signed by UPENDRA GUPTA
Date: 2023.08.23 19:16:26
Reason: For Digital Signature
Location: HATHRAS

Manager
S R V International School
Kota (Hathras)

PRINCIPAL
S.R.V. INTERNATIONAL SCHOOL
KOTA (HATHRAS)

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in